

सारणी

क्रम सं.	आवर्त	नाम पद्धति की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली कोड के अंकों की संख्या
(1)	(2)	(3)
1.	एक करोड़ पचास लाख रुपए से कम	कुछ नहीं
2.	एक करोड़ पचास लाख रुपए से अधिक किंतु पांच करोड़ रुपए से कम	2
3.	पांच करोड़ रुपए और उससे अधिक	4

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. एस-31011/25/2017-एसटी-1-डीओआर]

एस. आर. मीना, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2017

No. 11/2017 – Union Territory Tax

G.S.R. 748(E).—In pursuance of the first proviso to rule 46 of the Union Territory Goods and Services Tax (Andaman and Nicobar Islands) Rule, 2017, the Central Government, on the recommendations of Goods and Services Tax Council, hereby notifies that the registered person having annual turnover as specified in column (2) of the Table below shall mention the digits of Harmonised System of Nomenclature Codes, as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, in a tax invoice issued by them under the said notification:

TABLE

Serial Number	Turnover	Number of Digits of Harmonised System of Nomenclature Code
(1)	(2)	(3)
1.	Less than one crore fifty lakhs rupees	Nil
2.	More than one crore fifty lakhs rupees but less than five Crores rupees	2
3.	Five Crores rupees and above	4

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of July, 2017.

[F. No. S-31011/25/2017-ST-I-DOR]

S. R. MEENA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2017

सं. 12/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर

सा.का.नि. 749(अ).—केंद्रीय सरकार, संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (चंडीगढ़) नियम, 2017 के नियम 46 के पहले परंतुक के अनुसरण में माल और सेवा कर परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचित करती है कि कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका वार्षिक आवर्त नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में यथा विनिर्दिष्ट है, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट नाम पद्धति की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली कोड के अंकों का वर्णन, उक्त अधिसूचना के अधीन जारी कर-बीजक में करेगा।

सारणी

क्र. सं.	आवर्त	नाम पद्धति की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली कोड के अंकों की संख्या
(1)	(2)	(3)
1.	एक करोड़ पचास लाख रुपए से कम	कुछ नहीं
2.	एक करोड़ पचास लाख रुपए से अधिक किंतु पांच करोड़ रुपए से कम	2
3.	पांच करोड़ रुपए और उससे अधिक	4

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. एस-31011/25/2017-एसटी-I-डीओआर]

एस. आर. मीना, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2017

No. 12/2017 – Union Territory Tax

G.S.R. 749(E).—In pursuance of the first proviso to rule 46 of the Union Territory Goods and Services Tax (Chandigarh) Rule, 2017, the Central Government, on the recommendations of Goods and Services Tax Council, hereby notifies that the registered person having annual turnover as specified in column (2) of the Table below shall mention the digits of Harmonised System of Nomenclature Codes, as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, in a tax invoice issued by them under the said notification:

TABLE

Serial Number	Turnover	Number of Digits of Harmonised System of Nomenclature Code
(1)	(2)	(3)
1.	Less than one crore fifty lakhs rupees	Nil
2.	More than one crore fifty lakhs rupees but less than five Crores rupees	2
3.	Five Crores rupees and above	4

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of July, 2017.

[F. No. S-31011/25/2017-ST-I-DOR]

S. R. MEENA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2017

सं. 13/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर

सा.का.नि. 750(अ).—केंद्रीय सरकार, संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (दादरा और नागर हवेली) नियम, 2017 के नियम 46 के पहले परंतुक के अनुसरण में माल और सेवा कर परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचित करती है कि कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका वार्षिक आवर्त नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में यथा विनिर्दिष्ट है, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट नाम पद्धति की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली कोड के अंकों का वर्णन, उक्त अधिसूचना के अधीन जारी कर-बीजक में करेगा।